न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/77/2017	2017/00116	12.05.2017	20.11.2024

1. जिला पुलिस अधीक्षक अलवर जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. संतराम पुत्र मोहर सिंह जाति प्रजापत निवासी भनोखर थाना खेडली जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः—

01. विभागीय प्रतिनिधि —अनुपस्थित।
02. अप्रार्थी/वकील अप्रार्थी —अनुपस्थित।

—::निर्णय::—

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि थाना कठूमर के प्रकरण संख्या 244/11 धारा 3/7 ईसी एक्ट में आठ (8) ड्रम प्लास्टिक रंग नीला जन में 1680 लीटर डीजल भरा हुआ है। प्रत्येक ड्रम में 210 लीटर डीजल भरा हुआ है। उक्त प्रकरण में मुलजिम श्री संतराम पुत्र मोहर सिहं जाति प्रजापत निवासी भनोखर थाना खेड़ली जिला अलवर के विरुद्ध बाद अनुसंधान चालान जरिये रोड नंबर 133 दिनांक 28—10—12 को न्यायालय श्रीमान सीजेएम साहब अलवर में पेश किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में जातशुदा माल के उचित रख रखाव के अभाव में थाना परिसर में बाहर पड़ा है जो अधिक धूप व तापमान के कारण प्लास्टिक के ड्रमों का चटकना शुरू हो गया है तथा उनमें भरा हुआ डीजल का रिसाव हो रहा है। अधिक धूप सापमान के कारण ज्वलनशील पदार्थ में आग लग सकती है तथा नष्ट हो सकता है। जप्तशुदा माल के निस्तारण के संबंध में 6—ए की कार्यवाही कर उक्त प्रकरण में जप्तशुदा डीजल को अधिकृत विक्रेता को बेचान करने के आदेश फरमाते हुये प्राप्त राशि को जमा राजकोष कराये जाने के आदेश (निस्तारण आदेश) फरमाने की कृपा करें। अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जप्त प्याज बीज को परीक्षण में अमानक पाये जाने पर राजसात करने एवं निस्तारण की कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी/अप्रार्थी वकील अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार थाना कठूमर के प्रकरण संख्या 244/11 धारा 3/7 ईसी एक्ट में आठ (8) ड्रम प्लास्टिक रंग नीला जन में 1680 लीटर डीजल भरा हुआ जब्त किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी श्री संतराम पुत्र मोहर सिहं द्वारा जब्त उक्त आठ (8) ड्रम प्लास्टिक रंग नीला जन में 1680 लीटर डीजल के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गा है। इससे स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा डीजल को अवैध भण्डारण/बेचान/परिवहन हेतु प्रयोग किया जा रहा था जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6—ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा आठ ड्रम कुल डीजल 1680 लीटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा आठ ड्रम कुल डीजल 1680 लीटर, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को भी सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)